निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यारित

प्रकरण संख्या 09 / 2019
दायरा दिनांकः–02.01.2019
निर्णय दिनांकः– 23.7.24

उनवान

1. कल्याण आयु 52 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
2. रामचरण आयु 50 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
3. काशीलाल आयु 48 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
4. सुरेन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्र जानकीलाल जातियान मीणा निवासीगण ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. कजोड आयु 60 वर्ष पुत्र लालजी
2. बद्रीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र लालजी
3. प्रेमनारायण आयु 45 वर्ष पुत्र लालजी
4. बृजमोहन आयु 40 वर्ष पुत्र लालजी
5. जानकी आयु 70 वर्ष पुत्री बिहारीलाल निवासीगण ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
6. शाखा प्रबंधक स्टेअ बैक आफ इंडिया शाखा कोटडी तहसील छबडा
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,92,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 23.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अब्दुल हसीब आलम – वादी
2. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,92,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खेडला तहसील छबडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 94 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 95 रकबा 16 बिस्वा खसरा [illegible] 04 बिस्वा कुल किता चार कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा स्थित है [illegible] पूर्व में मृतक लालजी पुत्र बिहारी जाति मीणा निवासी ग्राम [illegible] जिला बारां एवं उसकी माता किशनी बाई एवं बहिन के[illegible]तौर राज[illegible]भिलेख में खातेदार दर्ज थी। जिसमें वास्तविक रूप [illegible] 5 भाग पर मृतक [illegible] काबिज था, जो भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा पर उसका कब्जा था। क्योकि उसने बाद में सहखातेदार भंवरी एवं केसर से उसके हिस्से का हकत्याग अपने पक्ष में करवा लिया था। लालजी की मृत्यु के पश्चात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नामान्तरण संख्या 368 दिनांक 20.05.2014 के अनुसार मृतक लालजी की मृत्यु के पश्चात् भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा का फोती इंतकाल उसकी पत्नि जडिया बाई तथा उसके पुत्रगण प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में खोला गया। लालजी की पत्नि जडिया बाई की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिस प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 है। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 1 कजोड प्रतिवादी क्रम 2 बद्रीलाल प्रतिवादी क्रम 3 प्रेमनारायण प्रतिवादी क्रम 4 बृजमोहन तथा मृतक जडिया बाई बेवा लालजीराम के नाम 7/10 तथा प्रतिवादी क्रम 5 जानकी पुत्री बिहारी के 3/10 भाग के नाम बतौर राजस्व अभिलेख में दर्ज है परन्तु इस भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा पर कब्जा काश्त वादीगण का उसके पिता के समय से ही निरंतर अवैध रूप से चला आ रहा है। वादी क्रम 1 ता 3 के पिता प्रभुलाल तथा वादी क्रम 4 सुरेन्द्र के दादा प्रभुलाल का सगा भाई बिहारीलाल था जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के दादा तथा प्रतिवादी क्रम 5 जानकी के पिता थे इस प्रकार प्रभुलाल और बिहारी आपस में सगे भाई थे तथा उनके पिता गुलजी थे गुलजी की पत्नि बगोरी बाई थी वादीगण का दिनांक 26.04.2015 को एक इकरारनामा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता तथा प्रतिवादी क्रम 5 जानकी के भाई लालजी आत्मज बिहारीलाल जाति मीणा निवासी छबडा से हुआ था इस इकरारनामें के अनुसार मृतक लालजी ने सह इकरार किया था कि मैंने पारिवारिक बंटवारे में वादग्रस्त भूमि ग्राम खेडला तहसील छबडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 94 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 95 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा कुल किता चार कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में अपना 3/5 भाग अर्थात् 10 बीघा 07 बिस्वा भूमि का बेचान 4,40000/- रूपये में वादीगण कल्याण रामचरण काशीलाल मृतक जगदीश एवं सुरेन्द्र के पक्ष में कर दिया है तथा मैंने नगद 4,40000/- रूपये रूबरू गवाहान प्राप्त कर लिए है तथा विक्रय शुद्धा भूमि की एवज में एक बाडी आम वाली तथा कच्चा कवेलुपोश मकान पर भी कब्जा ले लिया है। इकरारनामा दिनांक 26.04.2015 तो मृतक लालजी आत्मज बिहारीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा द्वारा निष्पादित किया गया है जो नोटेरी से प्रमाणित है के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 62 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 94 रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 95 रकबा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा कुल किता चार कुल रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा जिसमें लालजी का 3/5 हिस्सा है जो अब वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम खेडला तहसील छबडा पर राजस्व अभिलेख में वादीगण बतौर खातेदार का नाम दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादीगण क्रम 1 ता 3 का भाई [illegible] हो चुकी है जिसकी पत्नि काली बाई अन्यत्र नाते जा चुकी है तथा उसके [illegible] नही है। मृतक जगदीश के वारिस वादीगण ही है। भूमि खसरा नम्बर 100 [illegible] बा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खेडला पर वादीगण का कब्जा काश्त उनके पिता के समय से 50 वर्षो से अधिक निरंतर अवैध रूप से चला आ रहा है तथा इकरारनामा दिनांक 26.04.2015 के अनुसार पारिवारिक विभाजन में उक्त भूमि वादीगण के हिस्से में आ चुकी है इकरारनामें के पश्चात् मृतक लालजी के मन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बदनियति आ गई तथा उसने भूमि के विक्रय का पंजीयन वादीगण के पक्ष में कराने में आनाकानी करने लगा तथा उसने राजस्व न्यायालय में झूठा वाद प्रस्तुत कर दिया। विपरीत आधिपत्य के कारण वादीगण को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उक्त भूमि को अपने नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है। मृतक लालजीराम व मृतक किशनी बाई ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188,183 आर0टी0एक्ट का भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम खेडला तहसील छबडा के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जों दिनांक 28.07.2010 को खारिज किया तथा न्यायालय श्रीमान के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.2010 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा केम्प बारां के यहां प्रस्तुत की थी जो दिनांक 29.04.2015 को खारिज हुई। जिससे स्पष्ट है कि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा पर वादीगण का कब्जा काश्त है। भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम खेडला तहसील छबडा पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम हटाकर वादीगण का नाम बतौर ,खातेदा दर्ज करवाने के वादीगण कानूनी रूप से अधिकारी है शेष रकबा 17 बिस्वा पर प्रतिवादी क्रम 5 जानकी बाई के नाम रहेगा। वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम खेडला तहसील छबडा पर खातेदारी अधिकार नही मिलने के कारण वादीगण को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। उन्हे किसान क्रेडित कार्ड एवं अन्य भूमि से संबंधित सरकारी योजलाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है तथा अपनी भूमि को उन्नत भी नही कर पा रहे है। वादीगण की आजीविका का साधन एकमात्र उक्त कृषि भूमि ही है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। मृतक लालजीराम द्वारा लिखा गया इकरारनामा दिनांक 26.04.2005 जो नोटेरी द्वारा प्रमाणित है प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 पर बाध्यकारी है। क्योकि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा वाके माल खेडला जर्ये फोती इंतकाल प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के नाम बतौर खातेदार दर्ज हुई परन्तु इस पर कभी भी संपूर्ण भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का कब्जा नही रहा है उनका कब्जा मात्र 17 बिस्वा भूमि पर रहा है। शेष भूमि 10 बीघा 07 बिस्वा पर कब्जा काश्त वादीगण का ही है। वाद कारण अंतिम रूप से दिनांक 01.10.2018 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि तुम हमें पारिवारिक विभाजन एवं इकरारनामा दिनांक 26.04.2005 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा भूमि का पंजीयन हमारे पक्ष में कराओं तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया और लडाई– झगडा करने पर आमादा हुए। भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 6 के यहां रहन है इस कारण से प्रतिवादी क्रम 6 को उपरोक्त उनवानी वाद में पक्षकार बनाया गया है एवं इकरारनामा दिनांक 26.04.2005 के अनुसार बैंक का बकाया ऋण वादीगण जमा कराने को तैयार है तथा भूमिधारी राजस्थान सरकार होने के कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छबडा को उपरोक्त उनवानी वाद में प्रतिवादी क्रम 7 बनाया गया है। प्रतिवादी क्रम 7 राजस्थान सरकार को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने से बिना नोटिस दिए धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 02.02.2021 को की गई। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण ग्राम खेडला नकल जमाबन्दी ग्राम खेडला सम्वत् 2064–67 नकल जमाबन्दी ग्राम खेडला सम्वत् 2060–63 खाता संख्या 31 नकल जमाबन्दी ग्राम खेडला सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 8 नकल अपील न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा उनवान लालजी बनाम कल्याण, नकल इकरारनामा लालजी द्वारा रामचरण कल्याण काशीराम जगदीश व सुरेन्द्र के किया गया नकल निर्णय दिनांक 28.07.2010 मु.न.172/06 दावा उनवान लालजी बनाम कल्याण पेश की गई।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेडला तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें 1/2 भाग पर मृतक लालजी काबजि था लालजी की मृत्यु के बाद फोती नामान्तरण 368 दिनांक 20.05.2014 उनकी पत्नि जडिया बाई व उनके पुत्र प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में खोला गया जडिया बाई की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिस प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 है वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में है तथा इस भूमि पर कब्जा वादीगण का उनके पिता के समय से चला आ रहा है प्रभुलाल ओर बिहारीलाल दोनो सगे भाई थे तथा उनके पिता गुलजी थे। लालजी द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 26.04.2015 को खसरा नम्बर 100 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा में से 3/5 हिस्सा का जर्ये इकरारनामा 4,40000/– में बेचान किया था। खसरा नम्बर 11 बीघा 04 बिस्वा में से 10 बीघा 07 बिस्वा पर लगभग 50 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि के संबंध में एक वाद माननीय न्यायालय के धारा 183,188 आर.टी.ए लालजीराम बनाम कल्याण वगै0 पेश किया जिसका निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा 28.07.2010 को पारित कर वादी का वाद मेनटेनेवल नही होने से खारिज किया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां पेश की गई। जो दिनांक 29.04.2015 को अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज की गई। प्रतिवादीगा से इकरारनामा के आधार पर पंजीयन कराने की कहां प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर यह दावा पेश किया है वादी का वाद इकरारनामा व एडवर्स पजेशन के आधार पर दावा स्वीकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल नामान्तरण संख्या 368 ग्राम खेडला अनुसार लालजी के फौत उसके वारिसान कजोड, बद्रीलाल, प्रेमनारायण, बृजमोहन, एवं बेवा जडिया बाई के नाम दर्ज होना पाया जाता है नकल जमाबन्दी ग्राम खेडला सम्वत् 2060–63 खाता संख्या 31 के अनुसार लालजी पुत्र किशनी बेवा केसर, जानकी, भंवरी, पुत्रिया बिहारी का नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खेडला सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 60 में लालजी पुत्र बिहारी हिस्सा 3/5 किशनी बेवा बिहारी जानकी, भंवरी, केसर, पुत्रिया बिहारी 2/5 दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी लालजी के खातेदारी की थी उनके फोत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 26.04.2005 से लालजी पुत्र बिहारी जाति मीना निवासी बावडीखेडा तहसील छबडा से कुल किता 4 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा में से 3/5 हिस्सा ग्राम खेडला में स्थित भूमि 4,40000/– रूपये में क्रय किया जाना अंकित है वादी को विक्रय पत्र इकरारनामा के निष्पादन के लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही करनी चाहिये थी। बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज (इकरारनामा) के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है। वादी का वाद मेन्टेनेवल नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य (मेन्टेनेवल) नही होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 09 / 2019	धारा 53,88,89,90,91,92,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 23.07.2024

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री अब्दुल हसीब आलम—वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः—श्री नारायणलाल चौरसिया

वाद शीर्षक

1. कल्याण आयु 52 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
2. रामचरण आयु 50 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
3. काशीलाल आयु 48 वर्ष पुत्र प्रभुलाल
4. सुरेन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्र जानकीलाल जातियान मीणा निवासीगण ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. कजोड आयु 60 वर्ष पुत्र लालजी
2. बद्रीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र लालजी
3. प्रेमनारायण आयु 45 वर्ष पुत्र लालजी
4. बृजमोहन आयु 40 वर्ष पुत्र लालजी
5. जानकी आयु 70 वर्ष पुत्री बिहारीलाल निवासीगण ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज.
6. शाखा प्रबंधक स्टेअ बैक आफ इंडिया शाखा कोटडी तहसील छबडा
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य (मेन्टेनेवल) नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23.07.2024 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:38 IST
Reason: SelfAttested